न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 46/2017 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. मांगेलाल पुत्र सूरजभान जाति महाजन,
2. बोदन लाल पुत्र सूरजभान जाति महाजन निवासीयान शाहजहॉपुर तहसील नीमराना जिला अलवर ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. प्यारेलाल पुत्र हेतराम जाति जाट,
2. दुलीचन्द पुत्र हेतराम जाति जाट,
3. उम्मेद सिंह पुत्र रोशनलाल जाति जाट निवासीयान ग्राम फौलादपुर तहसील नीमराना जिला अलवर,
4. सुशीला पुत्री स्व0 डाली देवी स्त्री स्व0 श्री रोशनलाल जाति जाट स्त्री फूलसिंह निवासी तिहाड़ा तहसील बावल जिला रेवाड़ी हरियाणा ।
5. श्रीराम पुत्र चोख राम जाति जाट,
6. भगवानी देवी स्त्री अमरसिंह जाति जाट,
7. सुनिता पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासीयान ग्राम फौलादपुर तहसील नीमराना जिला अलवर ।
8. लैण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार बहरोड़ जिला अलवर ।
9. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर अलवर ।
10. कैलाश देवी स्त्री रामनिवास जाति अहीर निवासी फौलादपुर तहसील नीमराना जिला अलवर ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री रामेश्वर दयाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री शिवचरण शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ल0 7, 10
3. श्री विनोद कुमार यादव राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

::: निर्णय :::

दिनांक :–18.04.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.1.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण ग्राम शाहजहॉपुर के रहने वाले हैं व प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 7 व 10 एक ही ग्राम फौलादपुर के रहने वाला हैं । आराजी ख0 नं0 541 रकबा 3 बीधा 19 बिस्वा जो कि सम्वत् 2020 से पूर्व के नम्बर है जिसके बन्दोबस्त सम्वत् 2020 में नये नम्बर 1296 रकबा 2 बीधा 3 बिस्वा कुडली वाला कुआ 1312 रकबा 17 बिस्वा से बने हैं व सम्वत् 2042 में उक्त खसरा नम्बरान के हाल नम्बर 1901, 1902, 1903, 1894, 1895 बनाये गये हैं जो वाके ग्राम फौलादपुर तहसील बहरोड़ में स्थित है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी के वास्तविक खातेदार पहले वादीगण के पिता श्री सूरजा उर्फ सूरजभान पुत्र श्री गोवर्धन थे व उनकी मृत्यु के बाद हम वादीगण हैं । विवादित आराजी पर मौके पर साबिक रेकार्ड सम्वत् 2020 के पूर्व में विवादित आराजी ख0 नं0 541 रकबा 3 बीधा 19 बिस्वा है लेकिन बन्दोबस्त सम्वत् 2020 व 2042 में बन्दोबस्त कर्मचारियों ने गलत तरीके से उक्त आराजी के कई खसरा नम्बरान बना दिये व उनके खातेदार भी वादीगण के बजाय प्रतिवादीगण को दर्ज कर दिया गया जबकि काननून बन्दोबस्त विभाग को पूर्व रेकार्ड में गड़बड़ी करने का कोई अधिकार नहीं था । बन्दोबस्त विभाग ने बिना न्यायालय की डिक्री व बयनामा के इस प्रकार से रेकार्ड में तब्दीली करने का कोई अधिकार नहीं है । वादीगण ने नकल लेने के बाद अन्य प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया तो प्रतिवादीगण 1 ल0 7 के अलावा शेष प्रतिवादीगण ने कहा कि हमारे पास आपकी कोई जमीन नहीं है । अगर गलती से आपका रकबा हमारे रकबे में आ गया तो उसे दुरूस्त करवा लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन प्रतिवादी नं0 1 ल0 7 ने दुरूस्ती करवाने से साफ इन्कार कर दिया । प्रतिवादी नं0 5, 6 व 7 ने दौराने स्टे बिना मौके पर कब्जा दिये हाल ख0 नं0 1901, 1902, 1903, 1894 व 1895 के 1/4 भाग का बयनामा अनाधिकृत रूप से प्रतिादी सं0 10 के हक में करा दिया जिस बयनामा को हम वादीगण के हक व हकूकों तक बातिल व बेअसर करार दिया जावें । साथ ही प्रतिवादीगण हाल रेकार्ड के गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी को दीगर जगह रहन, बय व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल कर सकते हैं । इसलिए उन्हें पाबन्द किया जाकर बन्दोबस्त विभाग ने जो त्रुटि की है उसके कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती फरमायी जावें । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । दौराने दावा प्रतिवादीगण द्वारा दि0 20.9.2007 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश कर दावा वादीगण खारिज करने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार करते हुए वादी का वाद दि0 30.1.2017 को खारिज कर दिया जिस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय व डिक्री दि0 30.1.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि उक्त वाद में दि0 5.12.2016 की आदेशिका में तनकीयात कायम कर साक्ष्य वादी में दि0 28.12.2016 की पेशी नियत की गई । उक्त तिथि को अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने के कारण पत्रावली में दि0 30.1.2017 नियत की गई । दि0 30.1.2017 को पीठासीन अधिकारी ने बिना अपीलांट व उनके अभिभाषक को सुने वाद का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट का दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के अन्तर्गत खारिज कर दिया । विद्वान तहत न्यायालय ने पत्रावली को बिना देखे निर्णय पारित किया है जबकि प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया ना ही पत्रावली में कोई प्रार्थना पत्र है । तहत न्यायालय ने इस पत्रावली में दूसरे प्रकरण बउनवानी मांगेलाल बनाम जयराम का जो प्रार्थना पत्र गलती से शामिल कर दिया गया उसी प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्णय पारित किया है । उक्त प्रार्थना पत्र में जो खसरा नम्बरान दर्ज किये हैं वे मौजूदा दावे से भिन्न है । साथ ही तहत न्यायालय ने दि0 30.1.2017 को आदेशिका में विधिक तनकी पर बहस सुने जाने का उल्लेख किया है किन्तु तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में किसी विधिक तनकी का निर्णय नहीं किया है और ना ही विधिक तनकी का उल्लेख है । इसलिए तहत न्यायालय ने निर्णय में तनकी वाईज निर्णय किया है तथा अन्त में वाद को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के अन्तर्गत खारिज किया है जो विधि अनुरूप नहीं है । तहत न्यायालय ने बिना अपीलांट की साक्ष्य लिये तथा बिना अपीलांट को सुने निर्णय पारित किया है जो निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ल0 7 व 10 ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर तनकीयात कायम करते हुए विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की गई है । हमारे द्वारा जो प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 का प्रस्तुत किया गया उस पर भी दोनों पक्षों को सुनकर तहत न्यायालय ने तनकीयात सहित निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । इसलिए अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार करते हुए वाद खारिज किया है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के जिस प्रार्थना पत्र दि0 20.09.2007 का उल्लेख किया है वह किन्हीं अन्य उनवान मांगेलाल बनाम जयराम का है तथा वकील प्रतिवादी/रेस्पो0 भी वहीं उस प्रार्थना पत्र को पत्रावली पर होना सिद्ध नहीं कर पाये । तत्पश्चात् विद्वान तहत न्यायालय ने समस्त वाद रेकार्ड पर विवेचित करते हुए निर्णय कर दिया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में उल्लेखित किया हुआ है कि वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा –

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है ।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है ।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है ।

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(ड.) जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है ।

चूंकि प्रस्तुत अपील में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के किसी भी लक्षण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचित न करते हुए रेकार्ड के आधार पर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट के आधार पर बहुत ही संदेहास्पद स्थितियां बनाते हुए पत्रावली निर्णित की है । दि0 5.12.2016 को विवाधक कायम कर वास्ते साक्ष्य दि0 28.12.2016 को प्रस्तुत होनी थी । तद्परान्त दि0 30.1.17 को आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र दि0 20.9.2007 व विधिक तनकी पर बहस सुनी गयी तथा एक ही दिन में 11 बजे तथा 2.30 बजे 2–2 बार पत्रावली की आर्डरशीट लिखी गयी है । यदि प्रकरण मैरिट के आधार पर निर्णित किया जाना है तो साक्ष्य, मौका, रेकार्ड का अवलोकन सभी चरणों से किया जावें अन्यथा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के किस बिन्दु के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, यह बताया जावें । जो प्रार्थना पत्र कभी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुआ या आज पत्रावली पर संधारित नहीं है निर्णय का आधार बनाकर निर्णय किया जाना न्याय की मंशा पर प्रश्न लगाता है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना के निर्णय व डिकी दिनांक 30.1.2017 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दस्तावेज पत्रावली पर लेते हुए साक्ष्य व तनकियों के आधार पर पुनः परीक्षण कर निर्णय पारित किया जावें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner